(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2599–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–06–2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत–2 बुढ़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला– मन्दसौर द्वारा प्रकरण कमांक 26/अ–12/2014–15

.....

बालमुकन्द पिता हजारीलाल कुल्पी
निवासी–खड़पालिया, तहसील मल्हारगढ़
जिला– मन्दसौर, (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

मानकुवंर पति भगवती लाल जी कुल्प
निवासी– खड़पालिया, तहसील मल्हारगढ़
जिला–मन्दसौर, (म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8 सितम्बर 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत–2 बुढ़ा, तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने सर्वे कमांक 863 रकबा 0.68 हैक्टैयर भूमि के सीमांकन बावत एक आवेदन राजस्व निरीक्षक वृत–2 बूढ़ा तहसील मल्हारगढ़ को

प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने बिना आवेदक को विधिवत सूचना दिये और पडौसी कास्तकारों को अनुपस्थिति में दिनांक 19–6–2015 को सीमांकन किया। सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया। अनावेदिका का पति शासकीय सेवा में होकर प्रभावशील होने के कारण उसके द्वारा चौकीदार गलत रिपोर्ट लगवाई थी। अनावेदिका आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19–6–15 निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत धारा 129 के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक ने सभी सीमावर्ती कास्तकारों को दिनांक 19–6–15 को मौके पर उपस्थित रहने बावत सूचना पत्र जारी किया है। उक्त सूचना पत्र बालमुकन्द पिता हजारीलाल कुलमी के साथ–साथ चार अन्य लोगों को निर्वाह कराया है। आवेदक द्वारा सूचना लेने से इंकार करने की टीप सूचना पत्र पर अंकित है। दिनांक 19–6–15 को सीमांकन किया गया जिसमें अनावेदिका की भूमि की सीमांए के अस्थायी निशानात कायम करवाये गये तथा मौके पर किसी को कब्ज लिया दिया गया नहीं है, जिसकी पुष्टि पंचों द्वारा की गई है। कब्जे के संबंध में आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का उल्लेख सीमांकन प्रतिवेदन में नहीं है, अतः आवेदक उक्त सीमांकन से किस प्रकार व्यथित है स्पष्ट नहीं होता है। आवेदक का मात्र यह तर्क कि उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया है, जबकि आवेदक द्वारा सूचना लेने से इंकार किया है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर